हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)
''गीता जीवन गीत''

प्रेषक:

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी।

प्रेषित:

सभी सम्बन्धित प्राचार्य/प्रधानाचार्य,
अराजकीय अस्थाई विद्यालय,
हरियाणा।

क्रमांक: 162/एनरोलमैंट दिनांक: 30.01.2024

विषय : शैक्षिक सत्र 2023–24 के कक्षा नौवीं से बारहवीं के एनरोलमैंट रिटन हेतु ऑनलाइन आवेदन बारे।

महोदय/महोदया,

हरियाणा राज्य के सभी अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त एवं बोर्ड से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा नौवी से बारहवीं के परीक्षार्थियों की शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए एनरोलमैंट रिटर्न एक बार में (एकमुश्त) ऑनलाइन दर्ज की जानी है। एनरोलमैंट हेतु हरियाणा राज्य के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क 150/– रूपये प्रति परीक्षार्थी एवं अन्य राज्यों/बोर्डो से आए परीक्षार्थियों के लिए 200/–रूपये प्रति परीक्षार्थी है।

विद्यालयों द्वारा नौवी एवं ग्यारहवीं कक्षा के प्रश्न पत्र का शुल्क 50/– रूपये प्रति परीक्षार्थी जमा करवाना होगा। ग्यारहवीं कक्षा के जिन परीक्षार्थियों का एनरोलमैंट पूर्व मे हो चुका है, उन परीक्षार्थियों का विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए 100/–रूपये प्रति परीक्षार्थी शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना होगा। एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रश्न–पत्र शुल्क 1000/–रूपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार प्रति विद्यालय जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

कक्षा नौवी से बारहवीं के लिए एनरोलमैंट शुल्क एवं कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं के लिए प्रश्न–पत्र शुल्क IDBI बैंक द्वारा गेटवे पेमैंट के माध्यम से भेजा जाना है।

नौवीं से बारहवीं के एनरोलमैन्ट रिटर्न भरने की तिथियां

कक्षा	बिना विलम्ब शुल्क	1000/–रू0 विलम्ब शुल्क सहित	शुद्धि के लिए तिथियां
9वीं से 12वीं	30.01.2024 से 02.02.2024	03.02.2024 से 06.02.2024	07.02.2024 से 08.02.2024

हरियाणा राज्य के सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किये जाएंगे कि एनरोलमैंट रिटर्न हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दर्शाई गई सभी शर्तो की पालना करना सुनिश्चित करें :–

1. सभी सम्बन्धित विद्यालय अपने परीक्षार्थियों के ''एनरोलमेंट रिटर्न'' के आवेदन पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क सहित एक बार ही (एकमुश्त) ऑन–लाईन करना सुनिश्चित करें। एनरोलमेंट हेतु विद्यालय की **Login I.D/** पासवर्ड पूर्व में जारी है मान्य होगा।

2 कक्षा 9वीं से 12वीं के उन्हीं परीक्षार्थियों के एनरोलमैंट आवेदन किए जाने है, जिन्हें शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए प्रवेश दिया गया है।

3 परीक्षार्थियों की नवीनतम फोटो ''विद्यालय वर्दी'' में तिथि सहित होनी चाहिए।

4 जिन परीक्षार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया गया है, उनके एनरोलमेंट आवेदन फार्म दोबारा नहीं भेजने है।

5 हरियाणा ओपन स्कूल/राष्टोय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से दसवीं पास परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में फैश एनरोलमैन्ट करवाया जाना है। **(CTP Haryana Open School)** से पास परीक्षार्थी इसमें शामिल नहीं होगें।

6 अन्य राज्य से आने वाले छात्रों की एस.एल.सी/टी.सी. आवेदन फार्म भरते समय विद्यालयों द्वारा एनरोलमैन्ट ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। एस.एल.सी./टी.सी. अपलोड नहीं किये जाने पर एनरोलमैन्ट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

7 कक्षा 9वीं,10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत जिन परीक्षार्थियों का पहले ही एनरोलमंट हो चुका है और परीक्षार्थी परीक्षा में अनुतीण रहा है व उनको उसी कक्षा में दाखिला/प्रवेश दिया गया है, ऐसे परीक्षार्थियों का दोबारा एनरोलमैंट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परीक्षार्थियों का 100/–रू प्रति परीक्षार्थी शुल्क आनॅलाईन जमा करवाकर केवल **Registration** करवाया जाना है।

8 विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने के बाद एक परीक्षार्थी के डाटा में(निर्धारित शुद्धि की तिथि तक) 02 त्रुटियां निःशुल्क ऑनलाईन ठीक की जा सकती है। दो से अधिक त्रुटियां पाए जाने पर 300/–रू0 शुल्क प्रति शुद्धि ऑनलाईन(निर्धारित तिथि तक) भुगतान करना होगा। इसके बाद किसी भी शुद्धि के लिए बोर्ड कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें व 300/–रू0 शुल्क प्रति शुद्धि काउंटर पर जमा करवाना होगा।

9 बोर्ड की वबसाईट के एनरोलमैंट लिंक के अंत में निम्न अनुसार प्रमाण–पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालय विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यदि बाद में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है या मामला संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेवार होगा :–

CERTIFICATES:-

i) The Spelling of the Name, Father's Name, Mother's Name, Date of birth and other particulars mentioned in the return are in accordance with the relevant admission and withdrawal register/original certificates. The admission of all students have been made in time and admitted upto age limit as per Education policy 2003.
ii) The School has been granted recognition for this particular session by the Education Department of Haryana and affiliated to the Board. The school affiliated to CBSE/ICSCEor anyother recognized board should be situated in Haryana.
iii) All the students mentioned in the enrolment return except those admitted on migration from other State have been studying in this institution right from the beginning of the academic session and those admitted on migration have been admitted according to the Board's rules.
iv) The names of all the candidates who have been admitted up to the last date, are being sent in the enrolment return and no candidate has been left out.
v) We have gone through the rules/regulation relating to enrolment carefully and the return is being sent according to these rules/regulations. If any mistake is found at the later stage the school will be responsible.
vi) It is certified that the S.L.C./T.C. of other States have been verified by our school and found correct. If at any stage, any S.L.C./T.C. found Bogus, the institution must be responsible.
vii) Certified that the school/institute will be responsible for admitting students from fake boards/boards not having equivalency with Board of School Education Haryana, Bhiwani.

10. यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि विद्यालय द्वारा किसी परीक्षार्थी को एनरोलमैंन्ट के नियम/विनियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रवेश दिया गया ता उस परीक्षार्थी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा परीक्षार्थी सरकारी संस्था का होने पर मुखिया के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु केस सैकेण्डरी शिक्षा विभाग,पंचकुला को भेजा जाएगा और यदि परीक्षार्थी अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है तो पहली गलती पाए जाने पर एनरालमैंट विनियम 21(2) के अंतर्गत एक लाख रू0 (100000/–रू0) आर्थिक दण्ड तथा दूसरी गलती पाए जाने पर तीन लाख रू0 (300000/–रू0) का आर्थिक दण्ड व तीसरी गलती पाए जाने पर विद्यालय की सम्बद्धता रद्द कर दी जायेगी।

11. जिन विद्यालयों द्वारा बोर्ड कार्यालय के विनियमों की उल्लंघना करके परीक्षार्थियों को गलत तरीके से प्रवेश दिये गये हैं और बोर्ड कार्यालय द्वारा उनके एनरोलमैंट क्रमांक रद्द करने तथा अनुक्रमांक जारी न करने की स्थिति में परीक्षार्थियों द्वारा किसी भी कोर्ट में केस दायर करने पर बोर्ड कार्यालय को पार्टी बनाया जाता है तो विद्यालय से उनकी लापरवाही के लिए आने वाले कोर्ट केस का खर्च वसूला जाएगा तथा विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

12. एनरोलमेंट के संबंध में पूछताछ हेतु बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में परीक्षार्थी /अभिभावक को न भेजा जाए।

13. शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षार्थियों की एनरोलमैंट रिटर्न में परीक्षार्थी का आधार नम्बर भी लिखा जाना आवश्यक है। परीक्षार्थी क पिता का आधार नम्बर भी भरें। यदि किसी कारणवश पिता का आधार नम्बर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें।

14. विद्यालयों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत् परीक्षार्थियों के एनरोलमैन्ट के सभी आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में एक बार (एकमुश्त) ही ऑन–लाईन भेजे। इसके पश्चात् आवेदन करने के लिए अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन–पत्र ऑफ–लाईन स्वीकार नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दाखिला खारिज रजिस्टर **(Admission Withdrawl Register)** में अंतिम परीक्षार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति भी अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है।

15. विद्यालय द्वारा नौंवी एवं ग्यारहवीं का प्रश्न–पत्र शुल्क 50/–रू0 प्रति परीक्षार्थी ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाना होगा। एनरोलमैंट आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद प्रश्न–पत्र शुल्क 1000/–प्रति विद्यालय जुर्माना राशि सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न–पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

16. ग्यारहवीं कक्षा के जिन परीक्षार्थियों का एनरोलमैंट पूर्व में हो चुका है, उन परीक्षार्थियों का विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य है, जिसके लिए 100/–रू0 प्रति परीक्षार्थी शुल्क भी ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाना होगा।

17. एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अन्य राज्यों/बोर्डो से आए नौंवीं से बारहवीं के परीक्षार्थियों के एनरोलमैंट करने उपरान्त मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दस्ती/पंजीकृत एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। अन्य राज्यों से आए परीक्षार्थियों के एनरोलमैंट प्रोविजनल लगाए जाएंगे, जिन्हें एस.एल.सी/टी.सी. की जाँच करने उपरान्त ही स्थाई माना जाएगा। जाँच में Bogus/Fake पाए जाने पर एनरोलमैंट रद्द कर दिए जाएंगे एवं संस्था के विरूद्ध विनियम–21 (i)&(ii) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

18- यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी भी कारणवश एनरोलमैंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में विद्यालय शुल्क वापिस हेतु एनरोलमैंट आवेदन की अंतिम तिथि से 60 दिन के अन्दर–अन्दर सम्पूर्ण विवरण (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Bank Branch Name) सहित प्रार्थना–पत्र ई–मेलasenr@bseh.org.inपर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमैंट शुल्क वापिस बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

19- सत्र 2023–24 का नौंवी एवं ग्यारहवीं का परीक्षा परिणाम भी इसी वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें अगले वर्ष की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

20- किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हैल्पलाईन नं0 9728666953 या 01664–254302 पर सम्पर्क करें। इसके अतिरिक्त सहायक सचिव (एनरोलमेंट) के फोन नं. 01664–244171 से 176 Ext. 164 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है एवं हैल्पलाईन ई–मेल bsehhelp@gmail.com तथा asenr@bseh.org.in पर ई–मेल भेजी जा सकती हैं।

सहायक सचिव(एनरोलमैंट/सम्बद्धता)
कृतेःसचिव